DEPARTMENT OF ECONOMICS
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA (BIHAR)

By :- Dr. Raman kumar Thakur
Assistant Professor (Guest)
Mo. No. :- 9430640318(Whatsapp)
e-mail :- ramankumar_2011@rediffmail.com

B.A. Part - I(H)
Date :- 07.04.2020 - 08.04.2020

विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.)

विश्व व्यापार संगठन के गठन, और कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। इससे भारत को क्या लाभ - हानि है ? अथवा, विश्व व्यापार संगठन क्या है ? भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए।

Answer:- विदेशी व्यापार के नियमन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना के प्रयास 1948 में एवम पुनः 1955 में भी किए गए थे किंतु उस समय ऐसे संगठन के प्रति अमेरिका की शंका के कारण इन्हें व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सका । उस समय अमेरिका को यह संदेश था कि इस प्रकार का संगठन उसकी संप्रभुता को कमजोर कर सकता है 1947 48 में अमरीकी विरोध के कारण ही एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन बनाने के लिए आहूत 53 राष्ट्रों के हवाना सम्मेलन में कोई सर्व सम्मत निर्णय नहीं लिया जा सका था परंतु 30 अक्टूबर 1947 को जेनेवा में 23 राष्ट्रों निशुल्क एवं व्यापार से संबंधित एक सामान्य समझौते गेट पर हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 1948 से प्रभावी यही समझौता कालांतर में व्यापार का सजग प्रहरी बन गया और अब एक जनवरी 1995 से इसकी परिणति विश्व व्यापार संगठन के रूप में हुई है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के दौर की वार्ता का परिणाम है जिस पर 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को की राजधानी मराकस में भारत सहित 125 राष्ट्रों ने विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी । किंतु 1 जनवरी 1995 को इस संस्था की औपचारिक स्थापना तक भारत सहित केवल 77 राष्ट्रों ने सदस्यता के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली थी तथा इस संबंध में "गैट" को अधिसूचित कर दिया था। औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए विकासशील राष्ट्रों को दी गई छूट के तहत इन 77 राष्ट्रों के अतिरिक्त 8 राष्ट्र जो 1995 में औपचारिकताएं पूर्ण करेंगे, भी विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य माने जाएंगे। इस प्रकार विश्व व्यापार संगठन के पचासी संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है । भारत सरकार द्वारा समझौते के अनुमोदन की औपचारिक सूचना जेनेवा स्थित भारतीय राजदूत ने 30 दिसंबर 1994 को ही गैट के मुख्यालय में दे दी थी।

सदस्यता की पात्रता हेतु भारत के पेटेंट अधिनियम तथा सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन

By :- Dr. Raman kumar Thakur
Assistant Professor (Guest)
Mo. No. :- 9430640318(Whatsapp)
e-mail :- ramankumar_2011@rediffmail.com

" विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता हेतु पात्रता पूर्ण करने के लिए भारत के राष्ट्रपति ने 31 दिसंबर 1994 को रात्रि को दो अध्यादेश जारी करके 1970 के पेटेंट अधिनियम एवं 1975 के सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन किए हैं । पेटेंट अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत कृषि, रसायन एवं औषधियों के क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। भारत में अब तक प्रक्रिया पेटेंट प्रणाली ही लागू थी। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत राष्ट्रों को उत्पाद पेटेंट की व्यवस्था करना आवश्यक है। नए अध्यादेश के तहत कृषि रसायन एवं औषधियों के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा हेतु संबंधित व्यक्ति या फार्म को भारत में उत्पाद पेटेंट हेतु आवेदन करना होगा।

अध्यादेश में पेटेंट धारक को संबंधित वस्तुओं के देश में विपणन के पूर्ण अधिकार दिए जाने की भी व्यवस्था है इसी के साथ साथ जारी किए गए दूसरे अध्यादेश द्वारा 1975 के सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन करके राशिफल विरोधी परसुल को ऐसी डंपिंग ड्यूटी को विवेचक समझौते के अनुरूप ही संशोधित किया गया है ।

गैट एवं विश्व व्यापार संगठन में अंतर विश्व व्यापार संगठन गैट की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त एवं व्यापक संगठन है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विनियमन हेतु गैट जहां एक लचीला समझौता था वहीं विश्व व्यापार संगठन सुनिश्चित नियमों एवं विधानो से सुसज्जित एक संगठन है। 1948 में स्थापित गैट अब तक वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन तथा उसके विस्तार में आने वाली बाधाओं को कम करने की दिशा में प्रयासरत रहा है। किंतु विश्व व्यापार संगठन वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं के व्यापार का नियमन करेगा। इससे बैंकिंग एवं बीमा जैसे अनेक सेवाओं का ना केवल विश्वव्यापी विस्तार होगा बल्कि प्रतियोगिता के वातावरण में उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा का दायित्व भी विश्व व्यापार संगठन का होगा। इस संदर्भ में यह संगठन कॉपीराइट पेटेंट बांड धारकों के हितों की रक्षा करेगा ।यह अधिकार गैट को प्राप्त नहीं थे। कृषि एवं कपड़े व्यापार जो अभी तक गैट के दायरे में नहीं था, अब विश्व व्यापार संगठन के कार्यक्षेत्र में शामिल होगा । कपड़े के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अभी तक विनियमित करने वाला बहुतंतु समझौता अगले 10 वर्षों में चरणों में समाप्त हो जाएगा तथा कपड़े का व्यापार विश्व व्यापार संगठन की परिधि में आ जाएगा ।कृषि गत वस्तुओं के व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए क्षेत्र में दी जाने

By :- Dr. Raman kumar Thakur
Assistant Professor (Guest)
Mo. No. :- 9430640318(Whatsapp)
e-mail :- ramankumar_2011@rediffmail.com

वाली सब्सिडी के लिए विशिष्ट नियमों का प्रतिपादन विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत किया गया है। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार संबंधी विवादों के निपटारे के लिए विश्व व्यापार संगठन के तहत नियम निर्धारित किए गए हैं ।जिनके अंतर्गत अधिकतम 18 महीनों की अवधि में ऐसे विवादों का निपटारा किया जा सकेगा।

*** प्रशासनिक संरचना**

विश्व व्यापार संगठन में सर्वोच्च प्रशासनिक पद महानिदेशक का है । महानिदेशक द्वारा संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा नीति निर्धारण हेतु सदस्य राष्ट्रों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन ही शिखर ईकाइ होगी सम्मेलन प्रति 2 वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित होगा। संगठन के सामान्य प्रशासन हेतु सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सामान्य परिषद है जिसका मुख्य कार्य व्यापार नीतियों की समीक्षा तथा व्यापारिक विवादों का निपटारा करना होगा सामान्य परिषद के अधीन तीन विशिष्ट परिषद होंगी यह वस्तुओं के व्यापार के लिए परिषदों के व्यापार के लिए परिषद ,तथा बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए परिषद। व्यापार एवं विकास भुगतान संतुलन तथा बजट से संबंधित इन विशेष समितियों का गठन भी सामान्य परिषद द्वारा ही किया जाएगा गैट का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में स्थित है । गैट का स्थान लेने वाले विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय हेतु जेनेवा के अतिरिक्त जर्मनी ने पेशकश की थी अंततः जेनेवा में ही इसका मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय जुलाई 1994 में ही ले लिया गया था।

<u>* विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव:-</u> किसी भी स्तर पर व्यापार का विस्तार -उत्पादन रोजगार एवं आय के स्तर का परिवर्धन करता है ।अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसका अपवाद नहीं है । विभिन्न राष्ट्रों द्वारा आरोपित प्रशुल्क की ऊंची दरें अंतरराष्ट्रीय व्यापार को परिसीमित करती रही है। विश्व व्यापार संगठन क्या स्थापना का मूल उद्देश्य ऐसे व्यापारिक अवरोधों को न्यूनतम करना है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पर्स उनको में व्यापक कटौती तथा बाजार के विस्तार के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई है । विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से पूर्व ही उरुगवे दौर वार्ता में संबंधित राष्ट्र अपने आयातो पर शुल्क दरों में एक तिहाई से भी अधिक कटौती के लिए तैयार हो गए थे। पहल में विकसित एवं विकासशील दोनों वर्गो के राष्ट्र शामिल थे।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं स्वयं गैट के अध्ययन के अनुसार कुछ एक राष्ट्र द्वारा औद्योगिक उत्पादों की

By :- Dr. Raman kumar Thakur
Assistant Professor (Guest)
Mo. No. :- 9430640318(Whatsapp)
e-mail :- ramankumar_2011@rediffmail.com

औसत दरे इस प्रकार रहेगी:-

विभिन्न राष्ट्रों द्वारा प्रशुल्क को तथा अन्य बाजार अवरोधों में कटौती से सभी राष्ट्रों के उत्पादों के लिए बाजार का भारी विस्तार होगा। विकसित राष्ट्रों को जहां एक और बैंकिंग एवं बीमा जैसे विकसित सेवा उद्योगों के लिए विकासशील राष्ट्रों के बरे बाजार मिल सकेंगे वहीं कृषि सब्सिडी के कड़े नियमों के कारण विकासशील राष्ट्र को अपने कृषि उत्पाद विकसित राष्ट्रों को निर्यात कर पाने में सहायता मिलेगी ।विकसित राष्ट्रों में कृषि सब्सिडी में कटौती के कारण किसी पदार्थों के मूल्य में वृद्धि होगी। जिससे विकासशील राष्ट्रों के कृषि गत उत्पाद इन बाजारों में अच्छे मूलय प्राप्त कर सकेंगे । यह तो एक उदाहरण मात्र है इसी प्रकार के अनगिनत अन्य अवसरों में विकसित एवं विकासशील दोनों ही वर्गो के राष्ट्र में वृद्धि हो सकेगी । व्यापार में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है । अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आकलन के अनुसार 1995 में ही समूचे विश्व के व्यापार में मात्रा अनुसार 6 प्रतिशत की वृद्धि अपेक्षित है संपूर्ण विश्व की विकास दर 1995 में 3.5% की संभावना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपेक्षित की गई है जो कि विगत 7 वर्षों में सबसे ऊंची विकास दर होगी विकासशील राष्ट्रों के निर्यात में 1995 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलन के तहत अपेक्षित है ।

<u>* भारत को लाभ /हानि</u>

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना पारस्परिक लाभ की भावना पर आधारित है इसकी स्थापना के परिणाम स्वरूप व्यापार रोजगार एवं आय में होने वाली वृद्धि में सभी सदस्य राष्ट्रों की भागीदारी सुनिश्चित है । भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने अपने - अपने तरीके से भारत को मिलने वाले लाभ का आकलन किया है :- फिक्की के अनुसार " विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से विश्व निर्यातो में भारत के अंश में वृद्धि होगी। कृषिगत उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराए जाने के उपबंध के तहत भारत से कृषिगत निर्यात में वृद्धि की पर्याप्त संभावना है ।प्रतिकूल भुगतान संतुलन से ग्रसित होने के कारण भारत अपने बाजारों को विदेशी कृषि गत उपयोग के लिए उपलब्ध कराने को बाध्य नहीं हैं कृषि के क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी अनुमोदित सीमा से पहले ही बहुत कम है। विकसित देशों को जहां कृषि सब्सिडी का स्तर बहुत ऊंचा है ऐसी सब्सिडी में कटौती करनी होगी जिसका लाभ भारत एवं अन्य कृषि प्रधान विकासशील

By :- Dr. Raman kumar Thakur
Assistant Professor (Guest)
Mo. No. :- 9430640318(Whatsapp)
e-mail :- ramankumar_2011@rediffmail.com

राष्ट्रों को प्राप्त होगा कपड़ा बाजार भी विभिन्न चरणों में विश्व व्यापार संगठन के तहत आ जाने से हमारे वस्तुओं का विस्तार होगा अमेरिका एवं यूरोपीय राष्ट्रों को कपड़े के आयात के संदर्भ में कोटा प्रणाली समाप्त करनी होगी।

भारत विशाल जन शक्ति वाला देश है । विभिन्न विषयों के तकनीकी विशेषज्ञों की देश में कमी नहीं है ऐसे लोगों की सेवाओं के लिए विदेशी बाजार अब अपेक्षाकृत अधिक सुलभ हो सकेंगे । विश्व व्यापार संगठन के नियमों का लाभ भी भारत को राशि पतन निरोधी (एंटी डंपिंग भी विनियमों का लाभ भी भारत को प्राप्त होगा। इनके तहत कोई भी राशि पतन के उद्देश्य से भारतीय बाजार में अपना माल नहीं खपा सकेगा। बहुराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विश्व व्यापार संगठन की प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था प्रबंधन के लिए विकासशील राष्ट्रों को दी गई सुरक्षा व्यवस्थाओं से भी भारत का लाभान्वित होना सुनिश्चित है ।औषधियों के क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट दवाइयों के मूल्य में वृद्धि अवश्य होगी। किंतु यह मूल्य वृद्धि कुछेक दवाइयों के मामले में ही होगी । निष्कर्षत:- यह कहा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना एक ऐतिहासिक घटना है। इसकी स्थापना के फल स्वरुप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार होगा जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार एवं आय के स्तर में भी वृद्धि होगी। इसकी स्थापना के परिणाम स्वरूप होने वाले लाभों में समस्त सदस्य राष्ट्रों की भागीदारी होगी।